Who is the eligible and who is not eligible to take money from foreign source ?

विदेशी धन लेने के लिये कौन पात्र है और कौन अपात्र है ?

कानून के मुताबिक ऐसी कोई भी संस्था/संगठन जिसके पास निश्चित रूप में सांस्कृतिक, आर्थिक, शिक्षाविषयक या धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम है वो सरकार की पूर्व अनुमती लेके या कानूनन पंजीकरण करके विदेशी डोनेशन ले सकती है । संस्था के निर्माण होनेपर पहले कुछ साल उसका FCRA के तहत पंजीकरण नहीं हो सकता । ऐसी परिस्थिती में संस्था केंद्र सरकार की पूर्व अनुमती लेके विदेश से चंदा/डोनेशन ले सकती है ।

अगर USA की कोई NGO आपकी संस्था को ५००० डॉलर्स भेजना चाहती है तो आपको यह ५००० डॉलर्स लेने की केंद्र सरकार से अनुमती लेनी पडेगी । इसके बाद आप ५००० डॉलर्स ले सकते है । ये अनुमती लेने के लिये आपको विदेशी संस्था से 'कमिटमेंट लेटर' लेना पडेगा । संस्था निर्माण के पहले तीन साल आपको हर वक्त विदेशी स्तोत्र से डोनेशन लेने के लिये सरकार कसे पूर्वअनुमती लेनी होगी । हर विदेशी संस्था निर्माण के लिये अलग अनुमती लेनी पडेगी । तीन साल के बाद आपका FCRA के अंतर्गत पंजीकरण हो सकता है ।

विदेशी मुद्रा लेने के लिये कौन अपात्र है ।

- चुनाव में लडनेवाला व्यक्ती
- पंजीकृत वार्तापत्र के मालिक, पब्लिशर, प्रिंटर, एडिटर, कार्टूनिस्ट, पत्रकार, लेखक
- न्यायाधिश, सरकारी नौकर, किसी कॉरपोरेशन के कर्मचारी
- किसी भी विधीमंडल के सदस्य
- राजकिय पक्ष या उसके पदाधिकारी